भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3748
उत्तर देने की तारीख 24 मार्च, 2025
3 चैत्र, 1947 (शक)

गुजरात के लिए नियोजित खेल अवसंरचना परियोजना

†3748. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के लिए नियोजित विशिष्ट अवसंरचना परियोजनाओं का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) गुजरात में खेल बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा अवसंरचना विकास के लिए आबंटित किया गया है;

(ग) क्या मौजूदा खेलो इंडिया केन्द्रों और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्रों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) खेलो इंडिया जैसी योजनाओं के अंतर्गत खिलाड़ी सहायता कार्यक्रमों की स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, खेल अवसंरचना सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। केंद्र सरकार केवल महत्वपूर्ण बाधाओं को हटाकर उनके प्रयासों में सहायता करती है। इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित खेलो इंडिया स्कीम और राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ), जिसके तहत खेल स्टेडियमों सहित खेल अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, मांग-संचालित स्कीमें हैं। गुजरात राज्य सहित देश भर में खेलो इंडिया स्कीम और एनएसडीएफ के तहत स्वीकृत खेल अवसंरचना परियोजनाओं और उनकी स्वीकृत लागत, जारी की गई धनराशि और उनकी वास्तविक और वित्तीय प्रगति का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in और http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

(ख) इस मंत्रालय में निधियों का आवंटन स्कीम-वार किया जाता है, न कि राज्य-वार या घटक-वार। चालू वित्त वर्ष में खेल विभाग की विभिन्न खेल विकास स्कीमों के अंतर्गत 3332.50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिसमें गुजरात में अवसंरचना का विकास भी शामिल है।

(ग) जी, हाँ। नारनपुरा में एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया है। इसके अलावा, स्वीकृत 1250 खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) के अनुसार, 36 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 1045 केआईसी अधिसूचित किए गए हैं।

(घ) खेलो इंडिया स्कीम के "खेल प्रतियोगिता और प्रतिभा विकास" घटक के अंतर्गत, देश भर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान खेलो इंडिया एथलीट (केआईए) के रूप में की जाती है। इन एथलीटों का चयन खेलो इंडिया गेम्स, राष्ट्रीय चैंपियनशिप जैसे आयोजनों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित खुले और पारदर्शी चयन परीक्षणों के आधार पर किया जाता है। प्रतिभा पहचान विकास समिति (टीआईडीसी) द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के माध्यम से योग्यता के आधार पर केआईए का चयन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, खेलो इंडिया स्कीम के "खेलो इंडिया केंद्र और खेल अकादमियां" घटक के अंतर्गत, पहचानी गई प्रतिभाओं को मान्यता प्राप्त खेलो इंडिया अकादमियों में शामिल होने का विकल्प दिया जाता है और प्रशिक्षण व्यय, कोचिंग, प्रतियोगिता एक्सपोजर, शिक्षा, उपकरण सहायता, वैज्ञानिक सहायता आदि के लिए प्रति वर्ष 6.28 लाख रुपये [आउट ऑफ पॉकेट भत्ते (ओपीए) के रूप में 1.20 लाख रुपये सहित] की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। देश भर में खेलो इंडिया स्कीम के तहत केआईए का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://dashboard.kheloindia.gov.in/state-wise-khelo-india-centers पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

*****